न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./41/2012/जैसलमेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ़। बनाम 1.मालसिंह पुत्र कलसिंह जाति राजपूत निवासी छंतागर तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 26/2008 बअनवान मालसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2009 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री कंवराजसिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 20.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम छंतागर के खसरा संख्या 30 रकबा 38.08 बीघा, खसरा संख्या 306 रकबा 09.12 बीघा, खसरा संख्या 308 रकबा 28.16 बीघा खसरा संख्या 310 रकबा 37 बीघा कुल रकबा 113.16 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 18.06.2009 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि खसरा पत्रक के कालम संख्या 7 से 9 में अंकित तथ्यों से वादी/रेस्पोडेंट के हक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है क्योकि वादी को किसी भी प्रकार से सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है और यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरित भी है। केवल मात्र उप सरपंच की तस्दीक पर भूमि को खालसा करने का अधिकार भू–प्रबंध विभाग को नहीं है और इस कारण सहायक भू प्रबंध अधिकारी को आदेश क्षेत्राधिकार से परे है जिसको दरकिनार करते हुए वादी/रेस्पोडेंट के खाते में वादग्रस्त भूमि पुन–दर्ज की जाना एक विधिक आवश्यकता है। रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य कही भी खंडित नहीं हुई है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी उक्त भूमि रेस्पोडेंट की पीढीयाती कृषि भूमि होना पूर्ण रूप से साबित है। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि राजकीय भूमि हो और रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त में न हो। विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी हैं जिस पर उनका कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 19.06.2017 के अनुसार वकील प्रत्यर्थी ने प्रकट किया कि प्रत्यर्थी फौत हो गया है अपीलांट इनके कायम मुकाम पेश करें। पत्रावली कायम मुकाम हेतु तब से आदेशिका दिनांक 14.02.2019 तक चलती रही लेकिन अपीलार्थी तहसीलदार फतेहगढ को व्यक्तिगत इस बाबत अवगत कराने के बाद अपीलांट ने स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी मालसिंह फौत नहीं है बल्कि व जीवित है। दिनांक 20.06.2019 को स्वयं प्रत्यर्थी मालसिंह स्वयं न्यायालय में हाजिर हुआ जिसकी आधार आई डी संख्या 436733502051 के आधार पर शिनाख्त की। आदेशिका के हाशिये पर उसका अंगुष्ठ निशान है। उसके वकील श्री कंवराजसिंह ने भी इसकी पहचान की। उसकी ओर से वकील ने वकालतनामा एवं रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रत्यर्थी/रेस्पोडेंट ने एक शपथ–पत्र भी पेश किया जिसमें अवगत कराया कि उसके पिता कलसिंह पुत्र बुलिदानसिंह के नाम से कभी कोई भूमि दर्ज नहीं थी व न ही वर्तमान में है उसके ताऊ समरथसिंह पुत्र बुलीदानसिंह के नाम भी कोई जमीन कभी दर्ज नहीं थी व न ही है। उसके ताऊ तगसिंह पुत्र बुलीदानसिंह के नाम से गांव छतांगढ़ में भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 38.08 बीघा, खसरा संख्या 306 में रकबा 09.12 बीघा, खसरा संख्या 308 में रकबा 28.16 बीघा, खसरा संख्या 310 में रकबा 37 बीघा कुल रकबा 113.16 बीघा है जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत हैं। रेस्पोडेंट के नाम वर्तमान में कोई भूमि दर्ज नहीं है, न ही कभी कोई भूमि खरीद की है इस भूमि के पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अभिलेख पर उपलब्ध रिकॉर्ड तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम छतांगर क्रमांक 47 खसरा संख्या 153 रकबा 28.15 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 34.10 बीघा, खसरा संख्या 155 रकबा 23 बीघा, खसरा संख्या 156 रकबा 34.10 बीघा था जो बंदोबस्त में खसरा संख्या 310 रकबा 37 बीघा, खसरा संख्या 306 रकबा 09.12 बीघा, खसरा संख्या 308 रकबा 28.16 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 38.08 बीघा कुल खसरे 4 रकबा 113.16 बीघा तगसिंह वल्द बुलिदानसिंह सोढा साकिन देह खातेदार के नाम अंकित रही है। जिसका पर्चा लगान (असल रिकॉर्ड पत्रावली पर है) जारी हुआ परन्तु बाद में सटेलमेंट विभाग ने इसे बिलानाम दर्ज कर दिया। इसके संबंध में तहरीर में लिखा है कि "तगसिंह फौत हो चुका है उसके कोई जाईदा लड़का नहीं है चूंकि यह कंवारा ही गुजर गया है इसलिए यह भूमि सिवायचक होना उचित है जिसकी तस्दीक ग्राम पंचायत छतांगर के उप सरपंच सांवलसिंह भी करते है।" इस पर कोई विधिवत रूप से जांच नहीं हुई कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक उसके विधिक वारिसान है या नहीं है। बिना जांच यह तहरीर विधिमान्य नहीं है बल्कि एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सिद्धांतों के विपरीत है। रेस्पोडेंट सजरे अनुसार मृतक तगसिंह के खातेदार नजदीकी वारिस श्रेणी–2 में आता है। इसकी जांच एवं विवेचन अपीलाधीन निर्णय में बाकायदा इसी पर की जाकर अभिनिर्धारण किया गया है। वादग्रस्त भूमि जो समरी में अंकित है जमाबंदी एवं खतौनी ग्राम छतांगढ संवत 2022 से 2025 एवं 2026 से 2029, 2030 से 2033 के अनुसार रेस्पोडेंट मालसिंह वल्द कलसिंह के नाम दर्ज है। इस रिकॉर्ड पर भी सेटलमेंट विभाग ने गौर नहीं किया। यही नहीं खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2025 में समरी के उक्त चारों खसरें में तगसिंह पुत्र बुलीदान की प्रविष्टि को काटकर मालसिंह पुत्र कलसिंह के नाम दर्ज किया गया है जो स्पष्ट करता है कि रेस्पोडेंट मालसिंह ने मृतक तगसिंह का वारिस होकर उसके नाम खातेदारी भूमि को जोता है। इसकी प्रविष्टि अगली गिरदावरी संवत 2026 से 2029, 2030 से 2033 में भी दर्ज हुई। रेस्पोडेंट मालसिंह के दादा बुलीदानसिंह के तीन पुत्रों में से तगसिंह व समरथसिंह लाऔलाद फौत हुए, केवल उसके पिता कलसिंह का एकमात्र वारिस पुत्र मालसिंह ही रहा। तगसिंह के अलावा शेष दोनो के नाम खातेदारी भूमि नहीं थी। मृतक तगसिंह के बाद रेस्पोडेंट सगे भाई का पुत्र होने के कारण भी उसका एकमात्र वारिस ठहरता है। इसलिए तगसिंह के नाम दर्ज भूमि का वह एकमात्र उत्तराधिकारी होने से भूमि पाने का हकदार था जिसे अकारण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना कर बंदोबस्त विभाग ने दौराने कार्यवाही एकतरफा निर्णय से उसे भूमि से महरूम कर दिया जो उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णरूपेण विधि सम्मत विवेचित होकर प्रदत्त है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकरण बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2008 बअनवान मालसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2009 को यथावत रखा जाता है।

20/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner